# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
## गुरूकुल काँगड़ी, हरिद्वार।

तकनीकी ई0 निविदा

**उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आउट सोर्सिंग पर कर्मियों की वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु आपूर्ति किए जाने सम्बन्धित :–**

1. फर्म/एजेन्सी का GST पंजीकरण संख्या.....
   (पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की जाय)।
2. ई0 निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 3540.00 (रु. तीन हजार पांच सौ चालीस)
   बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक .....
   बैंक एवं बैंक शाखा का नाम.....
   जो सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में है।
   (बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाय)
3. धरोहर राशि की एफ.डी.आर. संख्या .....दिनांक .....
   बैंक एवं बैंक शाखा का नाम.....
   धनराशि 1,25,000.00 रुपये
   एफ.डी.आर फर्म के नाम होगी तथा सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पक्ष में बन्धक हो। (एफ.डी.आर. संलग्न की जाय)
4. आयकर रिटर्न, गत 03 वर्ष का।
   (प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय)
5. जिलाधिकारी/अथवा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)
6. हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें हैसियत कम से कम धनराशि रु. 1,00,000,00/– (रु. एक करोड़) होनी आवश्यक है। हैसियत प्रमाणपत्र 06 माह से पुराना नहीं होना चाहिए।
7. CA द्वारा जारी किया गया पिछले 03 वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर प्रमाण पत्र, जो कि गत 03 वर्ष में रु. 1,00,000,00/– (रु. एक करोड़) से कम न हो।
8. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कम से कम 03 शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों में कर्मचारी (मैन पावर) सप्लाई करने का अनुभव प्रमाण पत्र।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्रांकः– 491/व्यवस्था–ई0 निविदा/2018–19, दिनांक 18 मई, 2018 हेतु निर्गत निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तो को भली–भाँति पढ़ लिया गया है, जो मुझे प्रत्येक दशा में मान्य है।

स्थान :–
दिनांक :–

एजेन्सी/फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....
फर्म का नाम .....
पूरा स्थाई पता .....
फोन नं0 .....
मोबाइल फोन नं0 .....

# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
## गुरूकुल काँगड़ी, हरिद्वार।

## वित्तीय ई0 निविदा

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आउट–सोर्सिंग पर कर्मियों की आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए दरें :–

**एजेन्सी/फर्म का नाम एवं पता :–**

| क्र0 सं0 | आउट सोर्सिंग पर तैनात किये जाने वाले कर्मियों का विवरण | दर प्रतिमाह रू0 प्रति कार्मिक | विधिक देयको का विवरण रू0 | GST की धनराशि एवं प्रतिशत | सभी देयक/GST सम्मिलित करते हुये एक मुश्त धनराशि प्रतिमाह रू0 (अंकों एवं शब्दों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कम्प्यूटर टाईपिस्ट (टंकण स्पीड 8000 की डिप्रेसन प्रति घण्टा) | | | | |
| 2. | इलेक्ट्रीशियन | | | | |
| 3. | प्लम्बर | | | | |
| 4. | फर्राश | | | | |
| 5. | वाहन चालक | | | | |
| 6. | नलकूप चालक | | | | |
| 7. | जनरेटर ऑपरेटर | | | | |
| 8. | बढ़ई | | | | |
| 9. | वेटर | | | | |
| 10. | कुक | | | | |
| 11. | मसालची | | | | |
| 13. | धोबी | | | | |
| 14. | 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक जे.ई. सिविल | | | | |
| 15. | 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक जे.ई. इलैक्ट्रिकल | | | | |

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्रांक–५७१/व्यवस्था–ई0 निविदा–आउटसोर्सिंग/2018–19, दिनाँकः–18 मई, 2018 में उल्लिखित समस्त शर्तों को भली–भाँति पढ़ लिया गया है, जो मुझे प्रत्येक दशा में मान्य है।

स्थान :–
दिनांक :–

एजेन्सी/फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....
फर्म का नाम .....
पूरा स्थाई पता .....
फोन नं0 .....
मोबाइल फोन नं0 .....

# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
## गुरूकुल काँगड़ी, हरिद्वार।

पत्रांकः– 491/व्यवस्था–ई0निविदा–आउटसोर्सिंग कार्य/2018–19, दिनाँक :–18 मई, 2018

## ई0 निविदा सूचना

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये कम्प्यूटर टंकक, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फर्राश, जेनरेटर ऑपरेटर, वाहन चालक, वेटर, नलकूप चालक, बढ़ई, कुक, मसालची व धोबी आदि बाह्य स्रोत (आउटसोर्सिंग) में आयोग के कार्यों को विधिवत रूप से संचालित करने हेतु रखे जाने हैं। इस हेतु कॉन्ट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970 अथवा केन्द्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग में सेवा कर के अन्तर्गत पंजीकृत एजेन्सी/फर्मों से द्वि ई0–निविदा प्रणाली (Two Bid e-tendering System Technical/Financial) के द्वारा शासकीय वेबसाइट पर ई0–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो कि मूल पत्र भौतिक रूप से डाक/कार्यालय काउन्टर पर दिनाँक 04.06.2018 की अपराह्न 2:00 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त करायी जा सकती है। ई0 निविदा उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता निविदा खोलने के समय उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित रह सकते हैं। **निविदा, निर्धारित प्रपत्र पर ही प्रेषित करनी अनिवार्य होगी।**

इस हेतु ई0 निविदा की शर्तें, निविदा प्रपत्र आदि आयोग की वेब साइट www.ukpsc.gov.in में देखे जा सकते हैं/डाउन लोड किए जा सकते हैं। निविदा के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य का बैंक ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि की धनराशि एफ0डी0आर0 संलग्न किया जाना आवश्यक है।

### ई0 निविदा की शर्तेः–

1. ई0 निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 3,000.00 + 540.00 (GST 18%) = रु. 3,540.00 (रु. तीन हजार पांच सौ चालीस) निर्धारित है, जिसका बैंक ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में होगा, निविदा के साथ संलग्न करना होगा। ई0 निविदा प्रपत्र की धनराशि Non-refundable होगी।
2. ई0 निविदा फॉर्म के साथ रु. 1,25,000/– (एक लाख पच्चीस हजार रु. मात्र) धरोहर राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 फर्म के नाम होगी तथा सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पक्ष में बन्धक (pledged) होनी चाहिए।
3. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति प्रोक्योरमेन्ट रूल नियमावली–2017 के पैरा नियम–13 (2) के अन्तर्गत दो निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदायें दो भागों में आमंत्रित की जा रही हैंः–
   - क– तकनीकी ई0 निविदाः– तकनीकी ई0 निविदा में व्यापारिक शर्तों और निबन्धनों के साथ समस्त तकनीकी विवरण हों।
   - ख– वित्तीय ई0 निविदाः– वित्तीय ई0 निविदा में तकनीकी निविदा में उल्लेखित मदों के लिए मदवार मूल्य का उल्लेख होगा।

4. केवल उन्हीं निविदा दाताओं का वित्तीय निविदा खोली जाएगी, जिन्होंने तकनीकी निविदा में सफलता प्राप्त की हो तथा तकनीकी निविदा में सफल न होने वाले निविदाओं की वित्तीय निविदा नहीं खोली जाएगी।

5. जिस फर्म की निविदा स्वीकृत होगी उसकी कार्यपूर्ति प्रतिभूति धरोहर राशि के रूप में जमा करायी जायेगी। अन्य की धरोहर राशि उनके निविदा स्वीकृत न होने की दशा में वापस कर दी जायेगी।

6. सशर्त निविदा किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी।

7. निविदादाता यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा कर्मियों को श्रम विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित स्वीकृत न्यूनतम देय धनराशि से कम भुगतान नहीं किया जाएगा। न्यूनतम देय से कम मजदूरी देने पर सम्बन्धित फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा एवं उनकी अर्नेस्टमनी को आयोग द्वारा जब्त कर दिया जाएगा।

8. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का होगा।

9. भुगतान की दशा में नियमानुसार देय आयकर तथा अन्य कर की कटौती की जायेगी।

10. जिस पंजीकृत एजेन्सी/फर्म की निविदा स्वीकृत होगी, उसके द्वारा कार्य आदेश के तुरन्त 24 घण्टे के अन्दर निविदा शर्तों के अनुसार कर्मियों की तैनाती करनी अनिवार्य होगी। तैनाती न करने की दशा में जमा, जमानती धनराशि जब्त करते हुये, सम्बन्धित पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को ब्लैक लिस्टेड भी घोषित किया जा सकता है, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित पंजीकृत एजेन्सी/फर्म का होगा।

11. तैनात कर्मियों द्वारा आयोग परिसर में धुमपान/मादक द्रव्यों का सेवन करना वर्जित है।

12. स्वीकृत पंजीकृत एजेन्सी/फर्म के द्वारा जो भी कर्मी आयोग में भेजे जायें, वे मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ हों एवं 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु के न हों तथा उपरोक्त कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से चुस्त–दुरूस्त हों। अनुभवी कार्मिकों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा एवं प्रत्येक कर्मी को आठ घण्टे ड्यूटी करना अनिवार्य होगा।

13. तैनात किये गये कर्मियों से सुचारू रूप से कार्य कराने हेतु ठेकेदार द्वारा अपने पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर की तैनाती की जानी अनिवार्य होगी, जो सम्बन्धित कर्मियों से ड्यूटी लिस्ट के अनुसार कार्य करा सकें तथा इनके कार्यों का सत्यापन कर देय बिल के साथ अपनी रिपोर्ट संलग्न कर सकें, ताकि बिलों के भुगतान में किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश न रह सकें। तैनात किये गये पर्यवेक्षक को स्वीकृत ठेकेदार द्वारा अपने स्तर से भुगतान किया जायेगा। आयोग से इस सम्बन्ध में कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

14. आयोग में स्वीकृत ठेकेदार द्वारा माह में कर्मियों की तैनाती की जानी आवश्यक होगी। यदि किसी भी कर्मी को अवकाश की आश्यकता होगी तो स्वीकृत ठेकेदार द्वारा नियमानुसार उसका अवकाश अपने स्तर पर स्वीकृत किया जायेगा तथा उसके स्थान पर अन्य कर्मी की तैनाती अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व की जानी आवश्यक है ताकि आयोग के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सकें।

15. निर्धारित कार्य अवधि में कार्मिकों की कार्यस्थल पर भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।

16. कार्य में लापरवाही या उदासीनता बरतने वाले कार्मिकों को किसी भी दशा में स्वीकृत ठेकेदार द्वारा तैनाती नहीं दी जाएगी तथा उसे तुरन्त कार्य से हटाना होगा।

17. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। भुगतान मासिक आधार पर ही माह पूर्ण होने पर फर्म/ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

18. शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना बाध्यकारी होगा।

19. फर्म/ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य करने वाले कार्मिकों का भुगतान माह समाप्त होने के सात दिन के भीतर करना सुनिश्चित करेगा। मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

20. स्वीकृत पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को तैनात किये गये कर्मियों को दी जाने वाली विधिक सुविधायें नियमानुसार प्रदान करनी होंगी तथा विधिक देयकों का भुगतान समय पर सम्बन्धित विभाग/संस्था को किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/ठेकादार का होगा।

21. फर्म/ठेकेदार द्वारा तैनात किये गये कर्मियों की बीमारी एवं उनके साथ घटित कोई भी अप्रिय घटना हेतु आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत फर्म/ठेकेदार का होगा।

22. स्वीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा जो भी कर्मी आयोग में तैनात किये जायेंगे,उनका पुलिस सत्यापन करने का पूर्ण उत्तरादायित्व स्वीकृत ठेकेदार का होगा। जिन कर्मियों का पुलिस सत्यापन किया जा चुका है उन्हें ही आयोग में नियुक्त किया जाये तथा सत्यापन की एक प्रति आयोग के रिकार्ड्स हेतु भी उपलब्ध करायें। पुलिस सत्यापन सर्टिफिकेट छः माह से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा।

23. स्वीकृत ठेकेदार द्वारा आयोग में तैनात किये गये कर्मियों के द्वारा यदि आयोग में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्रता की जाती है अथवा ऐसा कृत्य किया जाता है, जो **civil wrong** की श्रेणी में आता है तो उसके लिए ठेकेदार/फर्म भी समान रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत ठेकेदार का होगा।

24. इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फर्राश, जेनरेटर ऑपरेटर, नलकूप ऑपरेटर, बढ़ई को आयोग में 9:00 बजे प्रातः उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

25. जे.ई. (सिविल) व जे.ई. (इलैक्ट्रिकल्स), इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जेनरेटर ऑपरेटर, वाहन चालक, कम्प्यूटर टंकक, नलकूप ऑपरेटर, बढ़ई, कुक इत्यादि के पास पूर्व में कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है।

26. जे.ई. (सिविल) को सिविल वर्क कराने हेतु लगभग 05 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, साथ ही सिविल इलैक्ट्रिकल को विद्युत से संबंधित कार्य (लिफ्ट, जनरेटर, ट्रांसफार्मर) से संबंधित कार्य करने का लगभग 05 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

27. इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जेनरेटर ऑपरेटर एवं नलकूप चालक ऐसे रखे जायें, जिनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) द्वारा डिप्लोमा प्राप्त हो।

28. ठेका स्वीकृत होने पर स्वीकृत पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को आयोग के साथ उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भरना अनिवार्य होगा। यह अनुबन्ध उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन होगा।

29. आयोग द्वारा किसी भी समय एक माह के नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। साथ ही फर्म/ठेकदार द्वारा भी एक माह पूर्व नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किए जाने हेतु आयोग को सूचित किया जा सकता है।

30. कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने पर आयोग को यह अधिकार होगा कि वह 10 दिन की पूर्व सूचना पर करार को निरस्त कर दे। इससे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

31. फर्म/ठेकेदार तथा ठेकेदार कर्मी के बीच यदि कोई विवाद/दुर्घटना होती है। इसका उत्तरदायित्व आयोग का नहीं होगा।

32. आयोग में ठेकेदार द्वारा नियुक्त ठेकाकर्मी आयोग परिसर एवं आवासीय परिसर की गरिमा एवं गोपनीयता बनाये रखेंगे, यदि किसी कार्मिक द्वारा आयोग की गरिमा/गोपनीयता के विरूद्ध कार्य किया जाता है, तो सम्बन्धित कार्मिक को 24 घंटे के अन्दर आयोग से हटाना होगा। सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही भी की जाएगी, जिसके लिए सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार भी जवाबदेह होगा।

33. किसी भी विवाद की दशा में दोनों पक्षों की ओर से अध्यक्ष (विभागाध्यक्ष), उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, सोल आरविट्रेटर होंगे तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

34. निविदा स्वीकृत करने हेतु यदि किसी भी प्रकार का प्रभाव फर्म द्वारा डाला जाता है, तो उसे निविदा हेतु अयोग्य माना जायेगा।

35. निविदा के साथ पंजीकृत एजेन्सी/फर्म के द्वारा निम्नानुसार प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–
    1. उत्तराखण्ड GST के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या .....
    2. आयकर रिटर्न की प्रमाणित छाया प्रति।
    3. जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
    4. हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें हैसियत कम से कम धनराशि रू0 50,00000 (पचास लाख रु0) होनी आवश्यक है। हैसियत प्रमाणपत्र 01 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए।
    5. CA द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र जिसमें फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का कुल टर्न ओवर **एक करोड़ रुपये** का होना चाहिए।
    6. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय कार्यालयों में कर्मचारी (मैन पावर) सप्लाई करने का अनुभव प्रमाण पत्र।

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार

पत्रांक :– 491/व्यवस्था–ई0 निविदा–आउटसोर्सिंग/2018–19, दिनाँक :– 18 मई, 2018

1. प्रतिलिपि वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष को मा0 अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिलिपि : अधोलिखित को सूचनार्थ एवं सूचना पट पर चस्पा करने हेतु प्रेषित :–
    1. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
    2. जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार।
    3. आयोग कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
    4. अनुभाग अधिकारी, आई0टी0 को उक्त निविदा को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

18/5/18

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार